अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

1.1 भूमिका

प्रारंभिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार है। यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंव उसके परिवर्तित रूप 1992 में भी प्रारंभिक शाला स्तर की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। सम्पूर्ण देश इस स्तर की शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु विविध प्रकार के प्रयास किये जा रहे है। विशेषतया विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव, मूल्यांकन के तौर तरीको में बदलाव तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित प्रयासों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी बच्चों का उपलब्धि स्तर सभी विषयों में संतोष जनक होना चाहिए।

अतैव हमें अगर प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है तो सर्व प्रथम हमें उनके विचार विनिमय का साधन "भाषा कौशल" जो सभी विषयों का तथा अधिकतर ज्ञान निर्माण का आधार भी है को सशक्त बनाना होगा। भाषा के बिना विचार विनियम असभंव है। तथा भारत जैसे हिन्दी बहुभाषी देश में तो शिक्षण व अध्ययन के कार्य में राजभाषा हिन्दी को महत्व देते हुए विद्यार्थियों को मातृभाषा या द्वितीय भाषा के रूप में दक्ष करना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों को प्रयत्नरत रहकर रूचिकर ढंग से विद्यार्थियों में हिन्दी के साहित्यिक तथा व्याकरणिक ज्ञान को परिपुष्ट करना होगा तथा उनकी हिन्दी भाषा के प्रति पाई जाने वाली रूचि में वृद्धि करनी होगी।

1.2 भाषा का महत्व :

भाषा संबंधी ज्ञान में परिपक्व बालक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सफल होता है क्योंकि उसकी सशक्त अभिव्यक्ति, शुद्ध भाषिक प्रयोग, प्रसंगानुसार अर्थ–बोध की दक्षता जीवन में उसे प्रतिक्षण सफलता की ओर अग्रसर कराती है जिससे वह समाज में अपना एक सार्थक व विशिष्ट स्थान बना लेता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भाषा ज्ञान की सम्पन्नता मेरूदण्ड की तरह जीवन के प्रत्येक मोड पर विद्यार्थी की प्रतिष्ठा रक्षा में सहायक होती है।

भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके सर्वोतम का विकास कर उसकी आत्मानभूति उसके अपने सृजक के साथ एक रस एक लीन होने का माध्यम भी है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और तथ्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए तथा किसी सुनी हुई बात पर प्रतिक्रिया करने के लिए भी हम भाषा का व्यवहार करते है। भाषा का महत्व मात्र इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी सम्पूर्णता के साथ भावों विचारों का वहन करती है।

विद्यार्थी के सर्वागींण विकास व शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञान शिक्षार्थी भाषा से ही ग्रहण करता है। परन्तु पूर्व में किए गए शोध अध्ययनों तथा प्रतिवेदनों के परिणामों से यह संकेत मिलते हैं कि भाषा में सभी बच्चे प्रारंभिक स्तर पर वांछित दक्षताओं में प्रवीणता स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए है। इस तथ्य के पीछे यशपाल समिति की रिपोर्ट में कही गई बात भी काफी हद तक जिम्मेदार है, कि ''हमारी पाठयपुस्तकों में बच्चों के वातावरण में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावाली, मुहावरें तथा अभिव्यक्ति शैली के दर्शन नहीं होते है, जो बोझ की भावना को ज्यादा बढाती है।''

1.3 मातृभाषा :

भाषा जहाँ एक बहता हुआ नीर है वहीं बाल्य जीवन में मातृभाषा की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मातृभाषा ही बच्चों के मूल व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक अमूल्य भूमिका निभाती है, यही वह भाषा होती है जिसमें उसका मस्तिष्क सबसे पहले क्रियान्वित होता है। मातृभाषा ही बालक के मन मस्तिष्क में बिना किसी औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए अपनी जड़े जमा लेती है। यही कारण है कि सभी शिक्षा शास्त्री एक मत होकर प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका को सर्वोपरि मानते आए हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा, एक विषय मात्र न रहकर सम्पूर्ण शिक्षा की धुरी बन जाती है।

महात्मा गांधी ने भी कहा था– "मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध।" (मंगल उमा–1991 हिन्दी शिक्षण)

मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करके ही बालक, समाज में एक दूसरे से सहयोग भी प्रदान करता है, एवं आपसी संबंधों को विकसित करता है। बच्चे की शिक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है।

1.4.1 हिन्दी भाषा :

अनेकता में एकता वाले देश में अनेक भाषायें बोली और लिखी जाती है, किन्तु हिन्दी जहॉ हमारे देश की राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा है, वहीं उत्तर भारत की तो यह मातृभाषा भी है। हिन्दी में वे सभी शक्ति, सामर्थ्य और गुणों के दर्शन होते है जो एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक रूप से होने चाहिए। राजभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व दिनों दिन बढता ही जा रहा है। हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता की भी प्रतीक बन गई है।

राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में – "हिन्दी एक जोड़ने वाली भाषा है, जिसने सभी हिन्दी भाषी प्रांतों को एक सूत्र में बांध रखा है।" व्यापक क्षेत्र में जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी आज संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में इसे मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसे द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण का विशेष महत्व है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में भी (रा.शै.अनु.प्र.प.) ने त्रिभाषा सूत्र के अनुसार "हिन्दी को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री निर्माण करने का संकल्प लिया था।"

इसका कारण है कि हिन्दी सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, आदि क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है।

अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की परम्परा प्राचीन है, शताब्दियों से यह जनसम्पर्क की भाषा, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, साहित्य सृजन, संगीत नाट्य आदि की अभिव्यक्ति की भाषा रही है। साथ ही हिन्दी साहित्य का ज्ञान तथा हिन्दी भाषा की संरचना के ज्ञान, काव्य शास्त्र के ज्ञान तथा साहित्यकारों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हिन्दी का महत्व अतुलनीय है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यास के लिए हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नवीन क्रांति तथा प्रयोग के लिए हिन्दी भाषा का अपना विशिष्ट महत्व है।

कोठारी आयोग (1964) के अनुसार भी हिन्दी संघ की राजभाषा है और आशा है कि कालांतर में वह देश की जनभाषा बन जायेगी। अतः पाठ्यचर्या में मातृभाषा के बाद इसका ही स्थान रहेगा।

हिन्दी भाषा की महत्ता को देखते हुए ही भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता दे कहा गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए तथा उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक, संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

हिन्दी भाषा के विकास को ध्यान मे रख 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। साथ ही केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उनके अधीन निगमों, उपक्रमों तथा कंपनियों में राजभाषा हिन्दी का प्रचार प्रसार, बढाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

इस तरह हम देखते है कि अखिल भारतीय भाषाओं की सुदीर्घ परम्परा में आज हिन्दी उसकी स्वाभाविक प्रतिनिधि है। ऐसी स्थिति में विद्यालय से निकलने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी तथा उसकी व्यावसायिक कुशलता में दक्ष करना अनिवार्य है।

हिन्दी एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में राष्ट्रीय एकता को परिपुष्ट करती रही है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करने में हिन्दी का प्रमुख योगदान रहा है। जहाँ हिन्दी का विकासशील स्वरूप, हिन्दी साहित्य का विभिन्न विधाओं में गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से समृद्ध होना उसके उज्जवल भविष्य को दर्शाता है वहां व्यवहार्य भाषा के रूप में जनपदीय शब्दावली का समावेश और शब्द सम्पत्ति में बढ़ोतरी राष्ट्रभाषा के व्यापक स्वरूप का परिचय कराती है।

1.4.2 प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण और अध्ययन के उद्देश्य :

बालक जब विद्यालय में आता है तो वह अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों और वाक्यों को प्रयोग करना सीख चुका होता है। यह देखा गया है कि इन शब्दों वाक्यों का प्रयोग प्रायः किसी बोली से अधिक होता है। विद्यालय में छात्र

हिन्दी भाषा की शब्दावली, व्याकरण आधारित संरचनाएं, भाषा व्यवहार आदि का शिक्षण प्राप्त करता है और धीरे धीरे वह हिन्दी भाषा का प्रयोग करने लगता है। विद्यालयी शिक्षा क्रम में द्वितीय, तृतीय भाषा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में संचार और सम्प्रेषण तथा सम्पर्क भाषा के रूप में भी उसका प्रयोग करना है। अतः हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन हिन्दी भाषा का प्रयोग की कुशलता बढ़ती जाये।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा भी प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य है :–

1 विद्यार्थियों के उच्चारण को हिन्दी· के मानक रूप की ओर लाना।

2 दूसरों के विचारों को सुनकर समझने की योग्यता का विकास करना।

3 साहित्य की प्रमुख विधाओं को रचना के माध्यम से पहचानना।

4 अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

5 विभिन्न संदर्भो में व्याकरण सम्मत भाषा का व्यवहारिक प्रयोग करने में समर्थ बनाना।

6 भाषा के प्रमुख तत्वों से परिचय कराना।

7 भाषा चिन्तन की योग्यता का विकास करना।

8 लेखन की यांत्रिक कुशलताओं में पूर्णतः लाना।

9 अन्य विषयों के अध्ययन के लिए भाषा का प्रभावी उपयोग कर सकना।

10 भाषा व्यवहार के द्वारा संवेगात्मक समायोजन का विकास करना।

11 भाषा संबधी स्व अधिगम की योग्यता का विकास करना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भी विद्यार्थी का प्रारंभिक स्तर पूर्ण होने पर उसे सभी प्राथमिक भाषाई कुशलता, व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग तथा साहित्य की प्रमुख विधाओं से रचनात्कमक ढंग से शिक्षण दें, परिचित करा दिया जाना चाहिए।

1.5.1 साहित्य :

व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से साहित्य शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए हम देखते है कि "धा" धातु में "क्त" प्रत्यय के संयोग से हित "शब्द निष्पन्न होता है। "स" के योग से सहित का अर्थ हुआ-साथ या एकत्र। लोक में प्रसिद्ध सहित का अर्थ है "हित के साथ" इस सहित शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए "ष्यञ्" प्रत्यय करने पर साहित्य शब्द निष्पन्न हुआ है। अतएव साहित्य शब्द का अर्थ है "सहित होने का भाव" व्याकरण सम्मत इस अर्थ में दो बातें स्पष्ट है पहली एकत्र की हुई ज्ञान राशि का होना और दूसरी इस ज्ञान राशि का मानव हिताय होना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने "ज्ञान राशि के संचित कोश" का नाम साहित्य माना है। (हिन्दी साहित्य का इतिहास)

संस्कृत में साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति "सहितस्य भावं साहित्यम् से हुई है जिससे आशय है शब्द और अर्थ का सहभाव या सहितत्व ही साहित्य है।

विद्वानों ने हिन्दी साहित्य का प्रारंभ लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से माना है तब से लेकर आज तक हिन्दी साहित्य अपने समय और परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर होता रहा है। तथा आज हिन्दी साहित्य ने पद्य, गद्य, नाटय, कहानी, उपन्यास, निबंध, समालोचना, आत्मकथा, संस्मरण, साक्षात्कार एवं रिपोर्ताज आदि सभी आधुनिक प्रवृत्तियों का समावेश अपने कलेवर में कर लिया है।

1.5.2 साहित्यिक रूचि :

उपर्युक्त लिखित साहित्य की विभिन्न विधाओं का पठन लेखन, शिक्षण, अधिगम, संवाद तथा अन्य सहगामी क्रियाओं में व्याकरण सम्मत उचित ढंग से प्रयोग करना ही एक व्यक्ति की साहित्यिक रूचि की और इंगित करता है।

शोधार्थी द्वारा प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि से आशय भी विद्यार्थी का स्वेच्छा पूर्ण और रूचि कर ढंग से उनके स्तर अनुरूप विभिन्न साहित्यिक विधाओं में भाग लेना और उसी ओर उनका मानसिक रूझान होना उनकी साहित्यिक रूचि की ओर इशारा करता है, जिसे एक कुशल भाषाई, शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर विद्यार्थियों में भाषा की व्यवसायिक दक्षता में प्रवीण किया जा सकता है।

1.6.1 मुहावरा : परिचय, एवं इतिहास

मुहावरों की गंगा का उद्‌गम जन मानस की पवित्र गंगोत्री से हुआ है, वस्तुतः किसी भी भाषा में मुहावरों का भण्डार जन सामान्य के उर्वर मस्तिष्क का कार्य होता है। मुहावरों और कहावतों के रूप में देश जाति तथा भाषा के हजारों वर्षों के अनुभव और संस्कार छिपे रहते हैं, जो आगामी पीढियों का सिद्धांत रूप में मार्गदर्शन करते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं के मुहावरें और लोकोक्तियां यद्यपि सर्वमान्य लोक सत्यों का ही बोध कराते हैं किन्तु उनके निर्माण और विकास की प्रकृति में उनके बोलने वालों की सांस्कृतिक प्रवृत्ति का बोध अवश्य हो जाता है। भाषा में विदेशी मुहावरों को शब्दशः अनुदित रूप में ग्रहण करना अवांछनीय ही नहीं हानिकारक भी होता है।

प्रत्येक भाषा के अनेक मुहावरे और लोकोक्तियां कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। कालान्तर में इनके निर्माण की घटनाओं का तो लोप हो जाता है कितु भाव अवश्य शेष रह जाता है और साधारण प्रयोगकर्ता उसकी

घटनाओं से इतना अपरिचित हो जाता है कि उसे उस घटना का बोध तक भी नहीं रहता।

भाषा में किसी भी मुहावरे अथवा लोकोक्ति का जन्म अथवा प्रचलन समाज के अधिकांश लोगों द्वारा एक सी अनुभूति के लिए समान शब्दों के प्रयोग से होता है, सार्वजनिक रूप से निरंतर अनुभूत घटना को दृष्टांत के रूप में थोडे शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होने लगता है जो पृष्ठभूमि के रूप में किसी घटना या कहानी को व्यक्त कर देते है। इससे समय और शब्दो की बचत होती है। दर्शन शास्त्र के शब्दों में हम कह सकते है कि मुहावरे अथवा लोकोक्तियों की उत्पत्ति "आगमनात्मक" रूप से होती है, और फिर उसका प्रयोग "निगमात्मक" रूप से होने लगता है।

अधिकांश मुहावरें और लोकोक्तियां अपने कलेवर में एक युगीन संस्कृति और इतिहास को छिपाए रहते है, जो पीढी दर पीढी हमें विरासत में मिलते रहते है। जिनका प्रयोग हम सर्व मान्य सत्य के रूप में करते है, समय गुजर जाता है किन्तु मुहावरें अतीत की अनुभूतियों को परोक्ष रूप में अभिव्यक्ति देते रहते है।

1.6.2 मुहावरों का अर्थ एवं सरंचना :

काव्यकार जिस प्रकार उपमा ध्वनि, अप्रस्तुत प्रंशसा और ब्याज स्तुति आदि अलंकारों से अपने भाव को स्पष्ट करता है वही कार्य भाषा में मुहावरों से किया जाता है। उनमें अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है और यह कार्य उनमें प्रयुक्त शब्द समूह की संयुक्त व्यंजना शक्ति से निष्पन्न होता है। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति को सप्राण, सशक्त और सुन्दर बनाने के लिए मुहावरें का प्रयोग किया जाता है।

मुहावरे जन जन में प्रचलित सत्यानुभूति से सम्पन्न वह सूत्रबद्ध और विदग्धता से पूर्ण कथन है जो अभिव्यक्ति को सजीवता और सशक्तता प्रदान

करते हुए, भाषा के अर्थ गौरव में वृद्वि करती है। मुहावरे की संरचना में भाषिक ईकाईयों का कोई तर्क सम्मत या व्याकरण सम्मत संयोग नहीं होता, यही कारण है कि इनका अर्थ अभिधेय नहीं होता। इनका अर्थ लक्षणा या व्यंजना शक्ति से ही निकल सकता है।

मुहावरों के अर्थ को प्रकट करने में क्रियापद का विशेष महत्व होता है। इसलिए मुहावरे क्रियापद से अनुबद्ध होते है। क्रियापद के अभाव में मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मुहावरे के साथ अनुबद्ध क्रिया अपने समायिका, असमायिका रूपांतर से मुहावरों के वाक्यगत प्रकार्य को निर्धारित करती है। मुहावरों की रचना का मनोविज्ञान यही है।

इन मुहावरों को अनेक भागों में उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करके भी अध्ययन कर सकते है। यथा –

1 कथन बंध में क्रियापद की विकल्पात्मक एवं अविकल्पाात्मक स्थिति के आधार पर।

2 कथनबंध में आये पदों के संयोज्य एवं असंयोज्य संबंध के आधार पर।

3 अकर्मक–सकर्मक क्रियापदों के आधार पर।

इस प्रकार मुहावरों को उनकी विषय वस्तु के आधार पर अनेक तरह से वर्गीकृत कर समझा जा सकता है।

1.6.3 मुहावरों की विशेषता :

मुहावरों के अर्थ, संरचना एवं प्रकृति के आधार पर इन मुहावरों में निम्नलिखित विशेषता होती है :–

1 मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं।

2 मुहावरों का शब्दार्थ न लेकर उनका सांकेतिक एवं लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है।

3 मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है।

4 मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता है।

5 हिन्दी में अधिकतर मुहावरों का संबंध शरीर के अंगों से है।

6 मुहावरों में लाघत्व, रोचकता, शैली की प्रभावोत्पादकता और भाषा की सरलता होती है।

1.6.4 मुहावरों का महत्व :

अभिव्यक्ति को सशक्त और सप्राण करने हेतु किसी भी भाषा में मुहावरों का प्रयोग आवश्यक होता है। वस्तुतः भाषा की सजीवता और सौन्दर्य बहुत कुछ उसके मुहावरों के भण्डार पर आश्रित होते हैं। एक सफल रचनाकार की भाषा में भावाभिव्यक्ति का वैशिष्टय मुहावरों के उपयोग पर भी निर्भर करता है। लोकोक्ति और मुहावरों से विहीन भाषा निस्संदेह दरिद्र होती है। मुहावरें भाषा की यथार्थ निधि है, इससे भाषा में नवीन बल और चेतना का संचार होता है।

मुहावरों के प्रयोग से कथन में सरलता, स्पष्टता और संक्षिप्तता भी आ जाती है। श्री कन्हैयालाल सहल का कथन है कि "साहित्य की दृष्टि से मुहावरों का महत्व कम नहीं है ये भाषा का श्रृंगार है, उनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और स्फूर्ति का संचार हो जाता है।"

अरबी कहावत के अनुसार, "वाणी में मुहावरों का वही स्थान है जो भोजन में नमक का होता है।"

वस्तुतः मुहावरा किसी भी भाषा की अपनी चाल ढाल है यदि हम किसी भाषा का अध्ययन करना चाहते है तो उस भाषा के मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अध्ययन अनिवार्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मुहावरों के न रहने से भाषा जीवंत और प्रवाहमयी नहीं रह जाती है।

जिस भाषा में जितने अधिक मुहावरें होगें उसमें उतनी ही अधिक प्रौढ़ता होगी। थोड़े में बहुत कुछ कह देने की उसमें उतनी ही क्षमता होगी, घटना विशेष का सामान्यकरण करने में वह भाषा उतनी ही सशक्त होगी।

1.6.5 मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर :

आधारभूत संरचना और व्याकरणिक संबंधों के दृष्टिकोण से मुहावरे और लोकोक्तियों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है जो निम्नवत है –

1 लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव लिए हुए होती है, जिसे हम दैनिक अनुभव की दुहिताएं भी कह सकते हैं, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्व होते है।

2 लोकोक्ति पूर्ण वाक्य रूपेण होती है जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है।

3 पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है।

4 पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है।

5 लोकोक्ति और मुहावरों में उपयोगिता की दृष्टि् से भी पर्याप्त अंतर है, लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, विरोध अथवा खण्डन के लिए

प्रयोग में लाई जाती है जबकि मुहावरें वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर उसे प्रभावशाली बनाते है।

1.7 प्रस्तुत शोध कार्य :

प्रस्तुत शोध कार्य के द्वारा आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की हिन्दी साहित्यिक रूचि एवं उनके मुहावरे ज्ञान की योग्यता तथा साहित्यिक रूचि एवं मुहावरे ज्ञान के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को जाँचने का प्रयत्न किया गया है। तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों को व्याकराणिक घटक मुहावरें की जानकारी के विभिन्न स्त्रोतों को भी जानने का प्रयास किया गया। जिसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सके कि विद्यार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त करने में किस स्त्रोत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है।

1.8 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

राष्ट्र के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है और व्यक्ति का विकास राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। आज का नौनिहाल बालक भावी राष्ट्र का निर्माता है, और यह तथ्य भी निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि बच्चे का भाषा ज्ञान उसके सम्पूर्ण विषयों की उन्नति अथवा अवनति को प्रभावित करता है, भाषा संबधी ज्ञान में परिपक्व बालक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सफल होता है, क्योंकि उसकी सशक्त अभिव्यक्ति, शुद्ध भाषिक प्रयोग, प्रंसगानुसार अर्थ बोध की उसकी दक्षता, जीवन में उसे प्रतिक्षण सफलता का बोध कराती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाषा ज्ञान की सम्पन्नता मेरूदण्ड की तरह जीवन के प्रत्येक मोड़ पर विद्यार्थी की प्रतिष्ठा रक्षा में सहायक सिद्ध होती है।

प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी अनुरूप उचित भाषाई शिक्षण व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थी भाषा ज्ञान की दुर्बलता से ग्रसित हो जाता है। भाषा ज्ञान की दुर्बलता के कारण विद्यार्थी व्याकरणिक मर्यादाओं का पालन करने में असमर्थ सिद्व

होता है, साथ ही प्रारंभिक स्तर पर प्रस्तुत कविता, कहानी, लेख के पठन–पाठन आदि में उसकी कोई रूचि नहीं होती है, इन सब बातों का प्रभाव उसकी सृजनशीलता पर पड़ता है। अतः प्रारंभिक शालाओं में इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि बच्चों का हिन्दी भाषा विषयक विकास उचित सीमा तक हो। अकसर देखा गया है कि बच्चे कक्षा तो उत्तीर्ण कर लेते है, किन्तु हिन्दी भाषा ज्ञान संबंधी बुनियादी घटको, व्यवहारिक व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। यह एक विचारणीय बिन्दु है।

इसी तारतम्य में शोधार्थी द्वारा कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों की हिन्दी साहित्यिक रूचि एवं उनके व्यवहारिक व्याकरण मुहावरे ज्ञान की वस्तु स्थिति में संबंध पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। अतः इस प्रकार के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकेगा कि हम कहाँ खड़े है? हमें कहाँ जाना है। हमारी भाषाई शिक्षण पद्धति में किस परिवर्तन की आवश्यकता है कि बच्चों की साहित्यिक रूचि के अनुसार भाषाई शिक्षण दे सके। जिससे यह भी ज्ञात हो जाए कि प्रारम्भिक विद्यालयों में भाषा का अध्यापन कार्य दक्षता आधारित स्वरूप में संचालित किया जा रहा है अथवा यह पाठयक्रम आधारित होकर अध्यापक के लक्ष्य को येन केन प्रकारेण, पाठयक्रम समाप्त घोषित करने तक ही सीमित रह रहा है। क्योंकि आज कल इस बात पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है कि विषयों का शिक्षण दक्षता तथा व्यावसायिक कुशलता आधारित हो।

इस अध्ययन के माध्यम से शिक्षा प्रशासकों, शिक्षाविदों एवं शिक्षा प्रबंधकों को प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा की साहित्यिक रूचि के अनुरूप ठोस दिशा निर्देश मिल सकेगें। इस अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि तथा व्यवहारिक व्याकरण जैसे मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आदि की वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। साथ ही उनके मुहावरें ज्ञान योग्यता के पीछे किस स्त्रोत का सर्वाधिक योगदान रहा है के बारे में भी

पता लग सकेगा। जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन में शिक्षकों की सहभागिता के बारे में तथा भाषाई कुशलता में विद्यार्थियों के प्रथम शिक्षालय अभिभावक के योगदान को भी समझ सकेंगे।

1.9 समस्या कथन :

आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिन्दी साहित्यिक रूचि एवं उनके मुहावरे ज्ञान के संबंध का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत विद्यार्थियों की हिन्दी साहित्यिक रूचि एवं उनके मुहावरें ज्ञान की योग्यता के बीच पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन किया जा रहा है, तथा साथ ही साथ इस मुहावरे ज्ञान के विभिन्न स्त्रोतों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है।

1.10 शोध के उद्देश्य :

1 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि का अध्ययन करना।

2 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के हिन्दी मुहावरे ज्ञान का अध्ययन करना।

3 आठवीं कक्षा के विद्याथियों की साहित्यिक रूचि एवं मुहावरें ज्ञान के संबंध का अध्ययन करना।

4 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिंग के आधार पर साहित्यिक रूचि का अध्ययन करना।

5 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का लिंग के आधार पर मुहावरे ज्ञान का अध्ययन करना।

6 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के मुहावरे ज्ञान का अध्ययन करना।

7 आठवीं के विद्यार्थियों के विद्यालय प्रकार (शासकीय एवं अशासकीय) के आधार पर साहित्यिक रूचि अध्ययन करना।

8 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के मुहावरे ज्ञान के विभिन्न स्त्रोतो के योगदान का अध्ययन करना।

1.11 शोध की परिकल्पना :

1 आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की साहित्यिक रूची एवं मुहावरे ज्ञान में कोई सार्थक संबंध नहीं है।

2 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढने वाले आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के मुहावरे ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4 आठवी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की साहित्यिक रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5 आठवीं कक्षा में पढने वाले छात्र. एवं छात्राओं के मुहावरे ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.12 तकनीकी पदों की परिभाषा :

अध्ययन में प्रयुक्त किए गए तकनीकी शब्दों की परिभाषा का विवरण निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया गया है –

साहित्यिक रूचि :

साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन, हस्तलिखित लेख, पत्र पत्रिकाओं के सृजन व प्रदर्शन, व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग, भाषाई प्रतियोगिताओं में

भागीदारी और वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये सभी कारक विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि से संबंधित पहलू के अंतर्गत आते है।

मुहावरा :

अरबी शब्द "मुहावरे का अर्थ है, बोलचाल या बातचीत में प्रयुक्त होने वाला कथनबंध जो अपने वाच्यार्थ से भिन्न व्यज्जना एवं लक्षणा शक्ति द्वारा अर्थ को प्रकट करता है जिसके किसी भी कथन को परिवर्तित करने पर उसका अर्थ नष्ट हो जाता है।

अतः यहाँ मुहावरे से आशय वह अनुभव युक्त वाक्य से है, जो संक्षिप्त, सारगर्भित एवं हृदयस्पर्शी होने के साथ साथ लोक प्रिय हो तथा जिसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता हो।

1.13 शोध की परिसीमाऐं :

इस लघु शोध की निम्नलिखित परिसीमाएं है –

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु भोपाल जिले के 3 शासकीय एवं 2 अशासकीय विद्यालयों को ही चयनित किया गया है।
2. यह अध्ययन केवल आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों तक ही सीमिति रखा गया है।
3. इस अध्ययन में प्रत्येक विद्यालय से केवल 30–30 विद्यार्थियों को ही न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है।
4. इस अध्ययन में विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान में से केवल मुहावरे ज्ञान योग्यता को ही जाँचा गया है।